

19/3/2021

पत्रावली पेश हुई अखिलेश्वर जार्जी उपस्थित
विषयी संख्या 1, 4, 5 के नोटीस बाद तामिल
प्राप्त। विषयी सं. 1, 4, 5 वाक्य सूचना उपस्थित
नहीं। विषयी संख्या 2, 3 आज भी उपस्थित
नहीं। अतः विषयीगण के विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। वहस प्रकार
अखिलेश्वर जार्जी हुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर वहस
अखिलेश्वर या भजन किया। नकल जमावदी

संवत् 2071-2074 अनुक्रमा ग्राम रेवेन्यू (2011/6)

प.ह. ऐशाल तहसील चिल्लोडाह की आशजी

नम्बर 34 रकबा 0.1850 हे, 62 रकबा

0.3100 कीला 2 रकबा 0.4950 हे भूमि

प्राची के स्वामिनी की है। अतः प्राची

का जर्नल का अन्तगत धारा 128 परीची

स्वीकार किया जाकर ग्राम रेवेन्यू (2011/6)

प.ह. ऐशाल स्थित प्राची की स्वामिनी की

आ. नं. 34, 62 कीला 2 रकबा 0.4950 हे

भूमि की बिना किसी के कब्जे में रखलन्दजी

किर सेटलमेंट नम्बरे अनुक्रमा पत्थरगढी

किर जाने के आदेश दिए जाते हैं। 7 पत्थरगढी

शुल्क 1000-00 रुबर अक्षरे एक हजार रुबर

प्राची वहन करेगी। पाल्णार्थ तहसीलदार

चिल्लोडाह को लिखा जावे कि पक्षकारण को

लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी

की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया

गया। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर

से कम हो।

(श्याम सुन्दर विश्वा)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चिल्लोडाह (स.प्र.)



2020
00190